न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 05/2018

1 अनुराग शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 31 झुन्झुनू जरिये मुख्तयार जयप्रकाश पुत्र श्रवणकुमार जाति जाट निवासी घरडु की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 पुरूषोतम पुत्र स्व. रामजीलाल
2 पवन पुत्र स्व. रामजीलाल
3 प्रदीप पुत्र स्व. रामजीलाल
4 प्रमोद पुत्र स्व. रामजीलाल
जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 12/120 सी 2 मोहल्ला जगतगंज धुपचण्डी वाराणसी उत्तरप्रदेश।
5 रामजीलाल सर्राफ पुत्र श्री गोरीशंकर सर्राफ जाति महाजन निवासी बी. 27/96 ए प्लाट नम्बर 41 गुरूधाम कालोनी थाना मेलपुर उत्तरप्रदेश।
6 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू ।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 11.01.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मुकदमा उनवानी अनुराग शर्मा बनाम पुरूषोत्तम मु.नं. 312/2016 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—01.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 312/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसके साथ अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.11.2016 को अन्तरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टस के विरूद्व जारी की। विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.01.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 1 व 2 के आदेशात्मक प्रावधानों की अनदेखी कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन नहीं कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 1040

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.09 हैक्टेयर सरहद राजस्व कस्बा ग्राम सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन तत्कालीन ठिकाना बिसाऊ से हरदेवाराम सर्राफ ने लगान के बदले काश्त हेतु प्राप्त की थी तथा लगान तत्कालीन ठिकाना को अदा कर बतौर टीनेन्ट काबिज काश्त रहा। उक्त हरदेवाराम सर्राफ के दो पुत्र भगवानदास सर्राफ व गजानन्द सर्राफ पैदा हुये। उक्त हरदेवाराम के देहान्त होने के बाद विवादित जमीन उत्तराधिकार के संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर उसके पुत्र भगवानदास व गजानन्द को प्राप्त हुई। उक्त हरदेवाराम का पुत्र गजानन्द सर्राफ युवाअवस्था में कमाने के लिये वाराणसी चला गया था कस्बा सूरजगढ़ की चल व अचल सम्पति की देखभाल हरदेवाराम का पुत्र भगवानदास सर्राफ करता था। उक्त भगवानदास सर्राफ निर्वसीयती नाऔलाद फौत हो गया तथा भगवानदास की स्त्री का देहान्त भगवानदास के जवीनकाल में हो गया। उक्त भगवानदास सर्राफ के पुत्र गजानन्द सर्राफ का भी देहान्त हो गया। गजानन्द सर्राफ के एक पुत्र विजयकुमार पैदा हुआ। इस प्रकार विवादित जमीन उत्तराधिकार के विजयकुमार को प्राप्त होने से उक्त जमीन का मालिक विजयकुमार हुआ व काबिज काश्त रहा है। उक्त विजयकुमार ने अपने स्वामित्व व कब्जा काश्त की जमीन दिनांक 20.11.2006 को जरिये विक्रय इकरारनामा के अपीलान्ट को विक्रय कर दी तथा कब्जा अपीलान्ट का करवा दिया। विवादित जमीन पर बरोज क्रय से कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय ने बिना कोई कानूनी आधार के निर्णय जैर बहस पारित किया है। कानून से विक्रय इकरारनामा के आधार पर कोई व्यक्ति धारा 92 ए व 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर सकता है। विवादित जमीन पर कब्जा काश्त अपीलान्ट का है तथा अपीलान्ट के हक में हुये इकरारनामा को रेस्पोडेन्ट ने कोई चुनौती नहीं दी इस कारण अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है। अतः अपील स्वीकार कर स्थगन जारी किया जावें।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर दावा व टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया था। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इसे दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय को निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर दावा व टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया था। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इसे दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय को निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

(बलदेवाराम धोलका)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर